Print Form

सामान्य अधिकार–पत्र

मैं क ख आत्मज ग घ, आयु 120 का होकर मेरी विभिन्न स्थानों पर चल एवं अचल सम्पति है तथा व्यापार एवं व्यवसाय भी काफी फैला हुआ है, जिसके कारण मैं अपनी सम्पति एवं व्यवसाय का न तो ठीक प्रबन्ध कर पाता हूँ और न ही प्रशासन ठीक ढंग से हो पाता हैं व्यापार एवं व्यवसाय से सम्बन्धित अनेक विवाद भी विभिन्न न्यायालयों में चलते हैं, जहाँ कि मेरा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना असम्भव रहता है। अतः इस सामान्य अधिकार पत्र द्वारा से च छ आत्मज ज झ आयु 120 निवासी को अपना वैद्य एटार्नी नियुक्त करता हूँ। उसे अधिकृत करता हूँ कि

1. वह उक्त सारी सम्पति एवं व्यापार व्यवसाय की देख–रेख करें, उसका प्रशासन सम्भाले एवं ठीक ढंग से उसका संचालन करें।
2. वह अपने व्यापार–व्यवसाय एवं सम्पति से अर्जित सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करे एवं पूरा लेखा–जोखा रखे।
3. वह अपने व्यापार–व्यवसाय एवं सम्पति से सम्बन्धित उत्पन्न वादों के लिए न्यायालय में वाद संस्थित करे, अपील एवं पुनर्विलोकन या पुनर्विचार के लिए प्रार्थना करे एवं तत्सम्बन्धित सारी कार्यवाहियों का संचालन करे।
4. वह न्यायालय में संस्थित अभी तक के सारे वादों का समायोजन करे, समझौता करे, वापस लेकर उन्हें मध्यस्थता के लिए सुपुर्द करे।
5. वह न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति के निष्पादन की सारी कार्यवाहियों को पूरा करे एवं नीलामी की अवस्था में वह मेरी ओर से बोली लगाये।

और मैं एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मैं उन सभी कार्यो का अनुसमर्थन और पुष्टि करूंगा, जिन्हें वह इस लेख के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के द्वारा या अधीन वैद्य रूप से करेगा।

उपर्युक्त के साक्ष्यस्वरुप मैने आज दिनांक 31 माह 12 सन् 2021 का के दिन निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर दिये।

साक्षीगण

(1)

(2)

हस्ताक्षर, क ख

निष्पादक